पत्रांक–10/न–85/2018.........

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक

मो० तसनीमुर रहमान
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

अध्यक्ष,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,
नई दिल्ली–110092

पटना, दिनांक.................

विषय– सत फ्रांसीस हाई स्कूल, थाना रोड, डाकबंगला के सामने, महनार, वैशाली को **CBSE बोर्ड**, दिल्ली से संबंद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि **संत फ्रांसीस हाई स्कूल, थाना रो डाकबंगला के सामने, महनार, वैशाली** को **C.B.S.E** से अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने के संबंध में उक्त विद्यालय प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यपालक दण्डाधिकारी के समक्ष लिये शपथ–पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों/कागजातों की समीक्षा विभाग की सक्षम समिति द्वारा की गयी। तदनुस विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई –

1. यह विद्यालय **श्री रामकृष्ण वेलफेयर सोसायटी** के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट में किसी व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नही है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र दिया गया है।

2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय ब्रांड नेम उपयोग नही करने का दावा किया है।

3. विद्यालय को **1.51 एकड़ भूमि** उपलब्ध है। विद्यालय का भवन है तथा पुस्तकालय एवं प्रयोगशा उपलब्ध है। **केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप है अथवा नहीं। समिति द्वारा इन संस्था का स्थल निरीक्षण एवं कागजातों की सत्यता की जाँच नही करायी गयी है। इस संबंध में विद्यालय द्वारा प्रा अभिलेखों एवं शपथ पत्र के आधार पर ही विभाग द्वारा समीक्षा की गई है।**

4. विद्यालय में कुल 17 शिक्षक नियुक्त हैं। **सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना हो कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरू है अथवा नहीं।**

5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।

6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक कर का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, न दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से शपथ पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है कि उसे विभाग अधिसूचना संख्या–238, दिनांक–04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित एवं अनिवार्य शर्तें स्वीकार है।

अपेक्षित शर्तों के अनुसार:–

(i) विद्यालय में कुल क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ोस में निवास करने वाले परिवार के बच्चों को किया जायेगा तथा उनसे ट्यूशन शुल्क अथवा किसी अन्य प्रकार का शुल्क नहीं लिया जायेगा। ऐसे बच्चों की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनु० जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग बालिका

Principal
St. FRANCIS HIGH SCHOOL
Mahnar, Vaishali

NOC LETTER 19

SHRI RAM KRISHNA WELFARE SOCIETY
SECRETARY

तथा सामान्य श्रेणी के परिवार जिनकी आय प्रतिवर्ष रुपया 2,00,000/-(दो लाख रुपये मात्र) से कम होगा, रखा गया है।

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के० जी० अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवे परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारि क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से नामांकन के लिए बच्चों का चयन कि जायेगा।

(iii) नर्सरी/के०जी० तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दू अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी ती किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत रा वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्त्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चि हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

9. साथ ही सी० बी० एस० ई०, को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अप सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्त्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त्त सार्वजनि करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाईट में करना होगा। शर्त्तों के उल्लंघन की स्थिति अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बद्धन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

10. विभागीय पत्रांक–46, दिनांक–18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबं आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

11. विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

उपर्युक्त वर्णित शर्त्तों के आलोक में विभागीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार संत फ्रांसीस हा स्कूल, थाना रोड, डाकबंगला के सामने, महनार, वैशाली को सी० बी० एस० ई० एफिलियेशन बायलॉज कंडिका–3 में वर्णित प्रावधानानुसार 3 सेक्शन हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस शर्त्त के साथ प्रदान किया जाता कि सी० बी० एस० ई० अपने स्तर से संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबधता देने पर विचार करेगी।

विश्वासभाजन

ह०/–
(मो० तसनीमुर रहमान)
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
पटना, दिनांक.................

ज्ञापांक :–10/न–85/2018....................

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
पटना, दिनांक 07.05.20

ज्ञापांक :–10/न–85/2018 1029

प्रतिलिपि:–प्राचार्य, संत फ्रांसीस हाई स्कूल, थाना रोड, डाकबंगला के सामने, महनार, वैशाली सूचनार्थ, एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

7/9/19

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

Principal
St. FRANCIS HIGH SCHOOL
Mahnar, Vaishali

NOC LETTER 20 SHRI RAM KRISHNA WELFARE SOCIETY
SECRETARY